राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)(40)नियम/डीएलबी/14/ 12548 जयपुर,दिनांक : 1-10-2015

परिपत्र

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 की उपधारा (7) के क्लॉज (एफ) में यह प्रावधान है कि अधिनियम 2009 के प्रावधानो की पालना हेतु किसी परिसर अथवा उसके भाग का उपयोग को प्रतिषिद्व करने हेतु इस निमित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि हेतु सीज किया जा सकता है। इस विभाग द्वारा सीजर के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक प.8 (ग) (40) नियम / डीएलबी/14/4908–5101 दिनांक 25.8.14 की निरंतरता में राज्य सरकार अधिनियम 2009 द्वारा प्रदत्त शक्तियो के प्रयोग में निम्नलिखित दिशा–निर्देश दिये जाते है :–

1. जिन भवनो में बिना स्वीकृति के निर्माण किया जा रहा है या जो निर्माण किया गया है वह भवन विनियमो के अनुरूप नहीं है तो ऐसे निर्माणकर्ता को नियमानुसार नोटिस देने के उपरान्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए समुचित रूप से विधि अनुसार आदेश पारित करते हुए सीजर/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जावे।
2. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 (7)(डी) के अन्तर्गत 250 वर्गमीटर तक के आवासीय भवनो को भवन विनियम अनुरूप निर्माण करने पर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। परन्तु ऐसे भवनो में भी यदि भवन विनियम के मानदण्ड (पैरा मीटर) की पालना नहीं की जा रही है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार नोटिस देने के उपरान्त सुनवाई का अवसर प्रदाने करते हुए सीजर/ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाए।
3. पूर्व से निर्मित भवनों में बिना स्वीकृति के कोई अवैध नवीन निर्माण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार नोटिस देने के उपरान्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिवत् आदेश पारित करने के उपरान्त सीजर/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाए। परन्तु चारदीवारी/बाहरी क्षेत्रों में पूर्व से निर्मित भवन में भवन उपविधियों में वर्णित स्वीकृति योग्य मरम्मत कार्य किया जा रहा है एवं नया अवैध ढांचागत निर्माण नहीं किया जा रहा है तो उनमें सीजर की कार्यवाही नहीं की जावे।
4. चारदीवारी/बाहरी क्षेत्रों में पूर्व से निर्मित भवन में यदि कोई तात्विक परिवर्धन कर नया निर्माण नहीं किया जा रहा है तो उनमें सीजर की कार्यवाही नहीं की जावे।
5. सभी प्रकार के भवनों में निर्धारित भू–उपयोग के विपरीत कोई अन्य उपयोग हेतु निर्माण या उपयोग में लिया जा रहा है जो निर्धारित भू–उपयोग के उल्लघंन के लिये नोटिस देने के उपरान्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सीजर/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जाए।
6. सीजर की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व माननीय न्यायालय में यदि कोई विचाराधीन प्रकरण है तो उसमें पारित निर्णय का भी ध्यान रखा जावे व जहां विधि सलाहकार है वहां विधिक राय भी प्राप्त की जाकर कार्यवाही की जावे। ताकि अवमानना की कार्यवाही से बचा जा सके।
7. मुख्य नगरपालिक अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सीजर किये जाने के पश्चात् भवन मालिक द्वारा सीजर किये जाने वाले कारणों के प्रतिउत्तर में अपना लिखित कथन दस्तावेजोां/शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने पर कम्पाउन्डिंग उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप सीजर खोले जाने पर विचार किये जाने के लिये संबंधित उपायुक्त/मुख्य नगर पालिक अधिकारी अपनी स्पष्ट टिप्पणी अंकित करते हुए पत्रावली बिन्दु सं0 9 में वर्णित समिति को प्रस्तुत करेगा। समिति प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर सीजर खोलने के संबंध में निर्णय लेगी।

1/10/2015